

महाराष्ट्र शासन  
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद

दिनांक : २३.१२.२०१८

4 JAN 2019

जा.क्र.शिससं/शि/औवि/अनु-३/२०१८/५१

प्रति,  
प्राचार्य,  
मिल्लिया महाविद्यालय, ब्रौड

विषय-

दि. १-१०-२०१७ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर शिक्षक व शिक्षकेतर पदांची अनुज्ञेयता.

- संदर्भ - १ शासन निर्णय यु.एस.सी / ११७८ / २५२५९ / रोमन-३२ सेल, दिनांक १९/०६/१९७८  
२ शासन निर्णय एनजीसी/२०८०/१६०२८४/५९८७/युजीएफ -२, दिनांक ०१/०६/१९८९.  
३ शासन निर्णय एनजीसी/१२८६/१२२४ / युजीएफ -४, दिनांक २७/०२/१९८९.  
४ शासन निर्णय बीजीटी/२०१७/म.क्र.२४/अ/अर्थसंकल्प-१९, दिनांक १५/१२/१९९८.  
५ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०/०९/२००१  
६ शासन निर्णय क्र. युएसजी-१४१३/ (२६) मशि-२ दि.१७-५-१९९४  
७ शासन निर्णय क्र. एनजीसी/२१९९/४७९५/विशि-४ दि. २६-८-१९९९  
८ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र. २९/भाग-३/२००२/वित्तीय सुधारणा, दिनांक ०९/०९/२००३.  
९ शासन निर्णय असक-१००१, प्र.क्र. २९/भाग-६/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०१/०७/२००४.  
१० शासन निर्णय एसआरडी-२००७/म.क्र.१२९/०७/१२, दिनांक २७/०८/२००७.  
११ शासन परिपत्रक. एनजीसी-२०१०/(४१५/१०)/विशि.१, दिनांक ०७/०९/२०११.  
१२ शासन निर्णय संकिर्ण-२०११/(४०४/११)/विशि.१, दिनांक १९/१०/२०११.  
१३ शासन निर्णय क्र. अढावा- १५१३/प्र.क्र. १२५/मशि-५ दि. ३-११-२०१८  
१४ प्राचार्य, मिल्लिया महाविद्यालय, ब्रौड यांचे पत्र क्र. १९६२ दिनांक ३०.११.२०१७

उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की संदर्भ क्र. १४ नुसार प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधील आपल्या महाविद्यालयातील दिनांक १-१०-२०१७ च्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर विषय निहाय विद्याशाखा निहाय कार्यभार तपासण्यात आला.

शासनाने विहित केलेल्या मानकानुसार कार्यभाराची परिगणना करून खालील अटिच्या अधिन राहून आपल्या महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहेत.

शिक्षकीय पदे

प्रपत्र अ

| अ.नं. | विषय / पदे                | २०१७-१८ चा एकूण कार्यभार | २०१७-१८ ची अनुज्ञेय पदे | २०१७-१८ ची मरलेली पदे | २०१७-१८ ची रिक्त पदे | शेरा     |
|-------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| १     | २                         | ३                        | ४                       | ५                     | ६                    | ७        |
| १     | प्राचार्य (प्राणीशास्त्र) | ६                        | १                       | १                     | ०                    |          |
| २     | प्रथपाल                   | -                        | १                       | १                     | ०                    |          |
| ३     | शा.शि.संचालक              | -                        | १                       | १                     | ०                    |          |
| १     | इंग्रजी(वाड.मय)           | ४८                       | २                       | २                     | ०                    |          |
| २     | मराठी(वाड.मय)             | ०                        | ०                       | ०                     | ०                    |          |
| ३     | हिंदी(वाड.मय)             | ३६                       | २                       | २                     | ०                    |          |
| ४     | गृहशास्त्र                | ३३                       | २                       | २                     | ०                    |          |
| ५     | अरेबीक                    | २८                       | १                       | १                     | ०                    |          |
| ६     | उर्दू                     | ४४                       | २                       | १                     | १                    |          |
| ७     | इतिहास                    | २८                       | १+१                     | २                     | ०                    | संरक्षित |

Joint Director  
Higher Education  
Aurangabad Region, Aurangabad

| अर्थशास्त्र               | ०       | ०   | ०  | ० |          |
|---------------------------|---------|-----|----|---|----------|
| १ राज्यशास्त्र            | २८      | १+१ | २  | ० | संरक्षित |
| १० लोकप्रशासन             | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| ११ भूगोल                  | ६६      | ३   | ३  | ० |          |
| १२ शारीरिक शिक्षण         | २८      | १+१ | २  | ० | संरक्षित |
| १३ समाजशास्त्र            | २८      | १+१ | २  | ० | संरक्षित |
| १४ रसायनशास्त्र           | १४२     | ७   | ५  | २ |          |
| १५ पदार्थविज्ञान          | ५४      | ३   | ३  | ० |          |
| १६ वनस्पतीशास्त्र         | ६६      | ३   | ३  | ० |          |
| १७ प्राणीशास्त्र          | ६९-६=६३ | ३   | ३  | ० |          |
| १८ सूक्ष्म जीवशास्त्र     | ३९      | २   | २  | ० |          |
| १९ जीवरसायन शास्त्र       | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| २० जीवशास्त्र             | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| २१ संख्या शास्त्र         | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| २२ वाणिज्य                | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| २३ लेखाशास्त्र            | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| २४ संख्याशास्त्र          | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| २५ गणित                   | ४०      | २   | २  | ० |          |
| २६ बीझनेस इकॉनॉमिक्स      | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| २७ बीझनेस लॉ              | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| २८ पर्यावरण शास्त्र एफ.सी | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| २९ ग्रामीण विकास          | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| ३० पायाभूत अभ्यास         | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| ३१ इतर                    | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| ३२                        | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| ३३                        | ०       | ०   | ०  | ० |          |
| एकूण                      |         | ४३  | ४० | ३ |          |

प्रपत्र ब - शिक्षकेतर पदे

वर्गवार कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील ( अनुदानित ) विद्यार्थी संख्या खालील प्रमाणे आहे.

| अक्र | कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय   | विद्यार्थी संख्या |
|------|---|-------------------|
| १    | कनिष्ठ ( वरिष्ठ महाविद्यालयास संलग्नित असल्यास ) व वरिष्ठ महाविद्यालय |                   |
|      | कनिष्ठ महाविद्यालय  | ०                 |
|      | वरिष्ठ महाविद्यालय  | ६८०               |
|      | एकूण  | ६८०               |
| २    | विज्ञान विद्याशाखा असल्यास त्यातील विद्यार्थी संख्या                  | ३६०               |

Joint Director  
Higher Education  
Aurangabad Region, Aurangabad

| अक्र | पदनाम              | अनुज्ञेय पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | शेरा |
|------|--------------------|--------------|------------|-----------|------|
| १    | प्रबन्धक           | ०            | ०          | ०         |      |
| २    | अधिक्षक            | १            | ०          | १         |      |
| ३    | मुख्य लिपीक        | १            | १          | ०         |      |
| ४    | कनिष्ठ लघुलेखक     | ०            | ०          | ०         |      |
| ५    | सहा. प्रथपाल       | ०            | ०          | ०         |      |
| ६    | वरिष्ठ लिपीक       | १            | १          | ०         |      |
| ७    | कनिष्ठ लिपीक       | २            | २          | ०         |      |
| ८    | प्रयोगशाळा सहाय्यक | २            | २          | ०         |      |
| ९    | प्रथालय लिपीक      | ०            | ०          | ०         |      |
| १०   | प्रथालय परिचर      | ३            | ३          | ०         |      |
| ११   | प्रयोगशाळा परिचर   | १            | १          | ०         |      |
| १२   | शिपाई              | ३            | ३          | ०         |      |
|      | एकूण               | २२           | २१         | १         |      |

टिप-शासन निर्णय दिनांक ३.११.२०१८ नुसार पदांची अनुज्ञेयता ठरविताना, पदांचा आढावा अंतिम झाला नसल्याने सदर अनुज्ञेय पदे अंतिम नाहीत हे आपणास निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे.

- प्रस्तुतचा कार्यभार महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या अनुदानित विद्याशाखा / तुकड्या / विषय व प्रवेशित विद्यार्थीसंख्या विचारात घेऊन परिगणित होणारा कार्यभार अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे.
- महाविद्यालयाने पदनिश्चितीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमुद केलेल्या विद्याशाखा / तुकड्या / विषय व विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या विद्यार्थीसंख्येची प्रत्यक्ष महाविद्यालयात पटनोंदणी अनिवार्य आहे.
- अनुदानासाठी अनिवार्य असलेली विद्यार्थीसंख्या व कार्यभार परीगणनेसाठी कमाल विद्यार्थी संख्या विचारात घेण्यात यावी.
- प्रात्यक्षिकांसाठी शासन नियमानुसार विहित केलेल्या विद्यार्थी संख्येची बॅच (गट) अनिवार्य राहिल.
- व्याख्यान / प्रात्यक्षिक / ट्यूटोरियल (पाठनिर्देशन), प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) या करिता नमुद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार असणे आवश्यक आहे.
- महाविद्यालयास अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या पदानुसार शासनाच्या प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार विहित प्राधिकरणामार्फत आरक्षण बिंदू नामावली प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.
- पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थीसंख्येत घट झाल्यास किंवा अन्य कारणास्तव अनुदानित विभागातील कार्यभार कमी झाल्यास अनुज्ञेय पदसंख्या कमी करण्यात येईल.
- अनुज्ञेय पदानुसार शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय पदभरती करण्यात येऊ नये. अशा अनुज्ञेय पदावरील नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनुदान निर्धारणात सादर बाब अमान्य करण्यात येईल. अनियमित नियुक्तीची जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापन व महाविद्यालय यांची राहिल.
- महाविद्यालयाच्या अनुदान पात्र कार्यभारावर आधारित पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे. अनुज्ञेय पदांवरील पदभरतीसाठी स्वतंत्र पणे शासनाच्या प्रचलित धोरण व कार्यपध्दतीनुसार प्रस्ताव सादर करून नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.

  
**Joint Director,**  
 उच्च शिक्षण, औरंगाबाद  
 Higher Education, Aurangabad Region, Aurangabad

शासन मान्यता पात्र विद्याशाखानिहाय अनुदानित तुकडी व त्यातील विद्यार्थी संख्या

| अक्र | विद्याशाखा निहाय वर्ग                               | वर्ष २०१७-२०१८ |                   |
|------|---|----------------|-------------------|
|      |   | तुकड्या        | विद्यार्थी संख्या |
| १    | कला शाखा  |                |                   |
|      | ११ वी   |                |                   |
|      | १२ वी   | ०              | ०                 |
|      | बी.ए. प्रथम वर्ष (भाग -१)                           | ०              | ०                 |
|      | बी.ए. द्वितीय वर्ष (भाग -२)                         | १              | १२०               |
|      | बी.ए. तृतीय वर्ष (भाग -३)                           | १              | ८६                |
|      | एकूण  | ३              | ११६               |
| २    | वाणिज्य शाखा  |                |                   |
|      | ११ वी   |                |                   |
|      | १२ वी   | ०              | ०                 |
|      | बी.कॉम. प्रथम वर्ष (भाग -१)                         | ०              | ०                 |
|      | बी.कॉम. द्वितीय वर्ष (भाग -२)                       | ०              | ०                 |
|      | बी.कॉम. तृतीय वर्ष (भाग -३)                         | ०              | ०                 |
|      | एकूण  | ०              | ०                 |
| ३    | विज्ञान शाखा  |                |                   |
|      | ११ वी   |                |                   |
|      | १२ वी   | ०              | ०                 |
|      | बी. एस्सी. प्रथम वर्ष (भाग -१)                      | १              | १२०               |
|      | बी. एस्सी. द्वितीय वर्ष (भाग -२)                    | १              | १२०               |
|      | बी. एस्सी. तृतीय वर्ष (भाग -३)                      | १              | १२०               |
|      | एकूण  | ३              | ३६०               |
| ४    | अनु क्रमांक १, २ व ३ ची बेरीज                       | ६              | ६८०               |
|      |   |                |                   |
| ५    | पदव्युत्तर विभाग अनुदानित ( शासकीय मान्यता असल्यास) |                |                   |
|      | प्रथम वर्ष  |                |                   |
|      | द्वितीय वर्ष  |                |                   |
|      | एकूण  |                |                   |

  
**Joint Director,**  
 उच्च शिक्षण, औरंगाबाद  
 Higher Education, Aurangabad Region, Aurangabad